

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1470 /

जबलपुर, दिनांक २६/२/२०१९

II-13-05/19

श्री गोपी किशन शर्मा, भृत्य, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर को दिनांक ०९.०२.१८ से १८.०२.१८ तक १० दिवस का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक १९.०२.१८ से १२.०४.१८ तक ५३ दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक १३.०४.१८ से १०.०१.१९ तक २७३ दिन का अवैतनिक स्वीकृत किया जाता है।

सही /—

(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/1471 /

जबलपुर, दिनांक २६/२/२०१९

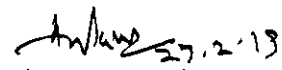
II-13-05/19

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/१८८ इंदौर, दिनांक २५/०१/२०१९ के संदर्भ में श्री गोपी किशन शर्मा, भृत्य का आवेदन पत्रों एवं संलग्न सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

 २७.२.१९

(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)
